FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत तहसीलदार मण्डावर मुकाम–मण्डावर (दौसा)

सरकार – बनाम – घनश्याम, घमण्डी, वाड़ा W/0 मुरारी

किस्म मुकदमा– भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या–11 सन्–2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **मुकदमा नम्बर–11/2021**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
21.12.2021	पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2078 ग्राम जैतपुर भूमि खसरा0 317/397 रकबा 0.10 है0 किस्म चारागाह पर गैरसायलान घनश्याम पुत्र सेड़या, घमण्डी पुत्र सेड़या एवं वाड़ा पत्नि श्री मुरारी समस्त जाति मीना निवासी जैतपुर द्वारा पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया गया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर गैर सायलान उपस्थित हुए। गैरसायलान द्वारा नोटिस के जवाब में अतिक्रमण किया जाना स्वीकार कर अतिक्रमण हटाने पर सहमति व्यक्त की। पत्रावली का अवलोकन किया गया पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायलान का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैरसायलान को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू–राजस्व लगान दर 2.88 रूपये का 50 गुणा 140 रूपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है। बेदखल वसूली हेतु आई0एल0आर0/पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी TRA करावे। बाद लकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) तहसीलदार तहसील मण्डावर (दौसा) रा0 ले0 रा0 4 वर्ष–2078 की पृ0 सं0–06–पर–140 रु की मांग कायम की गई। (हस्ताक्षर) तहसील राजस्व लेखाकार	